

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./उपकरण/2018/56
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

दिनांक: 15/5/18

विषय:-अनुपयोगी एक्सरे एवं सोनोग्राफी मशीन की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुपयोगी एक्सरे व सोनोग्राफी मशीनों के निस्तारण की कार्यवाही निदेशालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों पर अनुपयोगी एक्सरे व सोनोग्राफी मशीन की सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्पूर्ण जिले की संकलित करते हुए दिनांक 17.05.2018 को होने वाली समीक्षात्मक बैठक में साथ लेकर आना सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय की ईमेल आईडी (addtiha@gmail.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अनुपयोगी एक्सरे मशीन हेतु प्रपत्र

चिकित्सा संस्थान का नाम	अनुपयोगी एक्सरे मशीन का मेक एण्ड मॉडल नम्बर	चिकित्सा संस्थान पर स्थापित दिनांक एवं वर्ष	अनुपयोगी घोषित की दिनांक	यदि अनुपयोगी है तो बायोमेडिकल इंजीनियर का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।	चिकित्सा संस्थान पर स्थापित कमेटी द्वारा अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है अथवा नहीं।
1	2	3	4	5	6

अनुपयोगी सोनोग्राफी मशीन हेतु प्रपत्र

चिकित्सा संस्थान का नाम	अनुपयोगी सोनोग्राफी मशीन का मेक एण्ड मॉडल नम्बर	चिकित्सा संस्थान पर स्थापित दिनांक एवं वर्ष	अनुपयोगी घोषित की दिनांक	यदि अनुपयोगी है तो बायोमेडिकल इंजीनियर का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।	चिकित्सा संस्थान पर स्थापित कमेटी द्वारा अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है अथवा नहीं।
1	2	3	4	5	6

नोट:- जिन चिकित्सा संस्थानों द्वारा पूर्व में अनुपयोगी एक्सरे व सोनोग्राफी मशीन की सूचना निदेशालय को भिजवायी जा चुकी है, उन्हें पुनः निर्देशित किया जाता है कि सूचना निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण सहित (बायोमेडिकल इंजीनियर के द्वारा अनुपयोगी का प्रमाण पत्र संलग्न कर) इस कार्यालय की मेल आईडी (addtiha@gmail.com) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें एवं सूचना केवल अनुपयोगी एक्सरे एवं सोनोग्राफी मशीन की ही देनी है।

अति० निदेशक (चि.प्र.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 15/5/18

क्रमांक :चि.प्र./उपकरण/2018/ 56

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन जिलों के चिकित्सा संस्थानों को उक्त रिपोर्ट के लिये पाबंद करें।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड व मेल करना सुनिश्चित करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (चि.प्र.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर